



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर- 490021

दूरभाष: 0771-4073568, फ़ैक्स: 4073553

वेबसाइट www.cserc.gov.in, ईमेल: cserc.sec.cg@nic.in



याचिका क्रमांक 41 ऑफ 2026

विषय: - अभ्यावेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में 31.03.2025 को अप्रयुक्त/अतिरिक्त जमा ऊर्जा (बैंकिंग एनर्जी) के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रीड इंटरएक्टिव वितरित नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत) विनियम 2021 के कंडिका 21.7 में छुट तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(F) के तहत छुट और DRE (Distributed Renewable Energy) Regulations 2019 की कंडिका 29 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 35 ऑफ 2024 के अंतर्गत प्रस्तुत।

मेसर्स- वीरांश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि.

...

आवेदक/याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.

2. छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.

...

अनावेदकगण

पीठासीन : विवेक गनोदवाले, सदस्य (विधि)
अजय कुमार सिंह, सदस्य (तकनीकी)

शुद्धिपत्र

(13 जूलाई, 2026)

याचिका क्रमांक 41/2026 में दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश के पैरा 9(v) में एक अनजाने में हुई टंकण त्रुटि दृष्टिगोचर हुई है। अतः आयोग द्वारा निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

उक्त आदेश के पैरा 6 एवं 9(v) में अंकित **69/2024** को **35/2024** पढ़ा जाए तथा दिनांक **18.03.2025** के स्थान पर **26.06.2024** पढ़ा जाए। आदेश दिनांक 03.07.2026 के अन्य सभी प्रावधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

सही/

अजय कुमार सिंह
सदस्य (तकनीकी)

सहो/

विवेक गनोदवाले
सदस्य (विधि)